

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर  
डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.  
dirminority@gmail.com

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/11284

जयपुर, दिनांक: 05/02/2021

कार्यालय आदेश

निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 3191-3262 दिनांक 12.06.2019 द्वारा अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संयोजक)।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी
3. जिला कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार।

उक्त कमेटी के सदस्यों में से किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर जिला कार्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी को कमेटी में सम्मिलित किया जाये।

*Lyah*  
4.2.2021  
(जमील अहमद कुरैशी)  
निदेशक

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/11285-89

जयपुर, दिनांक: 05/02/2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान।
5. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

*Lyah*  
4/2/2021  
(डॉ. एम. ए. खान)  
अतिरिक्त निदेशक